Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बूंदी में पीएचईडी विभाग के दो कनिष्ठ अभियन्ता 11,500/—रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *10 मई मंगलवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर कोटा इकाई द्वारा आज बूंदी में कार्यवाही करते हुये पवन राठौर कनिष्ठ अभियन्ता व राजेन्द्र कुमार कनिष्ठ अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग बूंदी, जिला बूंदी को परिवादी से 11,500/—रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की कोटा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि जलदाय विभाग बूंदी के अन्तर्गत मेरी फर्म द्वारा करवाये गये पाईप लाईन जोड़ने—बिछाने तथा रोड़ रिपेयरिंग के कार्यों के बिल बनाने व पास करने की एवज में पवन राठौर कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा 4 प्रतिशत के हिसाब से 11,500/—रूपये तथा राजेन्द्र कुमार कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा 2 प्रतिशत के हिसाब से 5,000/—रूपये रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की कोटा इकाई के **अति0 पुलिस अधीक्षक ठाकुर चन्द्रशील** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **श्री अजीत बगड़ोलिया पुलिस निरीक्षक** मय टीम व **श्री नरेश कुमार पुलिस निरीक्षक** के बूंदी में ट्रेप कार्यवाही करते हुये श्री पवन राठौर पुत्र सुरेन्द्र राठौर निवासी ग्राम खेड़ा रसूलपुर थाना कैथून जिला कोटा, हाल कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय सहायक अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खण्ड़ बूंदी जिला बूंदी को परिवादी से **11,500/—रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। तथा राजेन्द्र कुमार सैनी पुत्र राधेश्याम सैनी निवासी सिनेमा हॉल बॉटम लेवल कॉलोनी लाखेरी जिला बूंदी, हाल कनिष्ठ अभियन्ता (उत्पादन) कार्यालय सहायक अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जिला बूंदी (पूर्व अतिरिक्त चार्ज सहायक अभियन्ता) को डिटेन किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपीयान के आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल—फ्री हैल्पलाईन नं. 1064*** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135—02834*** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ—साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।